

प्रेषक,

श्याम प्रकाश नारायण,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2021

विषय:- दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-05/पि0व0क0/2021-22, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के क्रम एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 में प्रावधानित धनराशि रू0 100000.00 लाख (रूपये दस अरब मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधान/दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत प्रावधानों से विचलन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
- (2) एतदर्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनाबंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (4) इस संबंध में समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए अग्रतर निर्देश आपके स्तर से जारी किये जायेंगे।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-03-अन्य पिछड़े हुए जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन' के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।  
भवदीय,

( श्याम प्रकाश नारायण )  
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  - 2 महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  - 3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
  - 4 वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
  - 5 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
  - 6 राज्य योजना आयोग-1
  - 7 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( रिपुंजय गुप्ता )  
अनु सचिव ।